निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 फाल्गुन 1934 (श0)

(सं0 पटना 222) पटना, सोमवार, 11 मार्च 2013

सं0 1/स्था–विविध (बुडको)–41/2012/618/न०वि०एवंआ०वि०

नगर विकास एवं आवास विभाग

——————

संकल्प

6 मार्च 2013

विषयः– बिहार में शहरी विकास की आधारभूत विकास की योजनाओं के बेहतर वित्तीय सम्पोषण एवं प्रबंधन हेतु ''बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड'' (Bihar Urban Infrastructure Development Fund) और उसके संचालन हेतु ''बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ट्रस्ट'' (Bihar Urban Infrastructure Development Fund Trust) के गठन की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार राज्य में शहरीकरण और शहरी सुविधाओं की कमी रही है। शहरी विकास हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकताओं को देखते हुए यह जरूरी है कि एक व्यवहारिक और टिकाउ रणनीति तैयार की जाए जो वित्तपोषण की बड़ी चुनौती को पूरा करने के लिए समक्ष हो। यह रणनीति सभी शहरों और कस्बों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगी।

2. शहरी विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से सरकार ने ''बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड'' (Bihar Urban Infrastructure Development Fund) नामक एक शहरी विकास कोष के गठन का निर्णय लिया है। इस विकास कोष से योजनाओं के वित्त पोषण की आवश्यकताओं एवं गैप फंडिंग (Gap funding) को पूरा किया जाएगा, ताकि शहरी स्थानीय निकायों (Urban Local Bodies) की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ–साथ ऋण आदि उपलब्ध कराया जा सके।

3. ''बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड'' (Bihar Urban Infrastructure Development Fund) के संचालन एवं प्रबंधन हेतु ''बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड ट्रस्ट'' (Bihar Urban Infrastructure Development Fund Trust) का गठन किया जाता है। यह ट्रस्ट वित्तीय रूप से स्वायत्त निकाय होगा तथा नगर विकास की योजनाओं का वित्तीय संपोषण करना इसका लक्ष्य होगा। इस ट्रस्ट के निम्नलिखित ट्रस्टी होंगें:–

क्र०सं०	नाम
(i)	विकास आयुक्त, बिहार– अध्यक्ष
(ii)	प्रधान सचिव, वित्त विभाग
(iii)	सचिव / प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग
(iv)	सचिव / प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग
(v)	सचिव / प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग
(vi)	सचिव / प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग
(vii)	नगर आयुक्त, पटना नगर निगम
(viii)	प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लि० (सदस्य सचिव)

4. ट्रस्ट व विकास कोष का प्रशासनिक परिचालन नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रण में बुडको द्वारा किया जाएगा। फंड व ट्रस्ट का आरंभिक कैपिटल रू० 5,00,000.00 (पांच लाख रूपये) बुडको द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / राज्य अभिलेखागार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार / सभी जिला पदाधिकारी, बिहार / सभी शहरी स्थानीय निकाय / प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड को भेजी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डा0 राजीव कुमार,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 222-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in